3/9/19. पत्रावली पेश हुई। वादी के अधिवक्ता तथा वादी स्वयं हाजिर नहीं। ऊंची-ऊंची कर तीन बार से अधिक आवाज लगायी गई। न तो वादी स्वयं उपस्थित हुआ तथा ना ही वादी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित अदालत हुआ। अतः वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner